न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 11/2017

1. चूनीलाल पुत्र रिछपाल जाति बावरी निवासी चक 15 एम.एल. कॉलोनी पो.ऑ. 6 एल.एन.पी.तहसील व जिला श्रीगंगानगर---मृतक

1/1 रामकिशन पुत्र चूनीलाल जाति बावरी निवासी चक 15 एम.एल. कॉलोनी पो.आॅ. 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1/2 पृथ्वीराज पुत्र चूनीलाल जाति बावरी निवासी चक 15 एम.एल. कॉलोनी पो. ऑ. 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1/3 विधा पुत्री चूनीलाल पत्नी कालूराम जाति बावरी निवासी चक 15 एम.एल. कॉलोनी पो. ऑ. 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी पुन्नूखेडा तहसील मलोट जिला फिरोजपुर।

बनाम

1. भादरराम पुत्र उदाराम जाति कुम्हार निवासी 6 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मु.खास रामप्रताप पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रामप्रताप पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी 6 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। --रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 29.11.2016 व डिक्री दिनांक 08.12.2016

उपस्थितिः–

श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री राजेन्द्र ग्रोवर, अभिभाषक रेस्पों.सं. 1

श्री महेश कुमार अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

27/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय **दिनांक :— 27.04.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 183 का पेश कर कथन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि चक 15 एम.एल. का मु. नं. 10 के कि.नं. 21/1 की 0.05है0 व 21/6 में 0.025है0 भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ने बतौर अतिक्रमी कब्जा कर रखा है जो उसे कब्जा दिलाया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 से 1000/—रूपया प्रति फसल के हिसाब से मध्यवर्ती लाभ दिलाया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि वर्ष 2004 से प्रतिवादी के पास पांचवे हिस्से पर काश्त की जा रही है। वादीगण की सहमति से प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 16.05.81 को प्रतिवादी द्वारा क्रय की गई है और शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा दो वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 29.11.2016 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का कब्जा बतौर अतिक्रमी न होकर जरिये इकरारनामा रेस्पों. की सहमति से चला आ रहा है। अधी. न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर अपीलांट को बेदखल करने के जो आदेश दिये हैं वह उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

27/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलती। इस सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अपीलांट का कब्जा बतौर अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने रेस्पों. का वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों. ने आर.आर.डी. 1996 पेज 268, डी.एन.जे. (राजस्थान) 1996 पेज 717, सीसीसी 2016(2) हि.प्र. पेज 80, 2016(1) सीजे(सिविल)(राजस्थान) पेज 580 की नजीरें पेश की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट का मुख्य तर्क है कि विवादित भूमि उसके द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय की गई। इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलांट का विवादित भूमि पर साधिकार कब्जा न होकर बतौर अतिक्रमी है। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विस्तृत विवेचन करते हुए वादी/रेस्पों. का वाद स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर